भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(1)

(122)

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर बोर्ड केम्प इंदौर के समक्ष।

निगरानी- 5522/2018/इंदौर/भू.रा.

राजेन्द्रसिंह ....प्रार्थी

वि रू द्ध

सजनसिंह व अन्य ....प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र धारा 35 (3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि –

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा माननीय महोदय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसमें आज दिनांक 24.08.2018 की पेशी तारीख नियत है।

2. यह कि, प्रार्थी की ओर से मुझ अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पैरवी की जा रही है मैं अभिभाषक सावेंर जिला इंदौर से आकर प्रकरण में पैरवी करता हूं किन्तु आज बारीश होने के कारण मैं प्रकरण में पैरवी करने हेतु थोडी देर से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुवा था।

3. यह कि, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिती के कारण श्रीमान् द्वारा प्रकरण अनुपस्थिती के कारण खारिज कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक को ही प्रकरण अनुपस्थिती में खारिज किया गया है और आज दिनांक को ही प्रार्थी की ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ताकि प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिया जाकर निगरानी का गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जा सकें।

5. यह कि, जो प्रकरण में उपस्थिति में देरी हुई है उसे क्षमा किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिये लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। यही विनय है।

इति, दिनांक– 24-8-2018

प्रस्तुतकर्ता

पियुष जोशी एड.

मो.न. 98265-33046

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 5522/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	आवेदक अधिवक्ता पीयूष जोशी तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री बी0एल0गोमे उपस्थित । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन सुनवाई हेतु ग्राहय किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी/पीबीआर/इंदौर/भूरा/2018/1687 पुन: नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	